प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता,
लघु डाल नहर खण्ड,
मीरजापुर।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक :– /ल0डा0न0ख0मी0/ई–निविदा/2026–27/मीरजापुरः **दिनांक : 14–05–2026**

विषय :– ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा सूचना संख्याः **02**/अधि0अभि0/2026–27 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ई–टेण्डरिंग के माध्यम से आमंत्रित की जाने वाली इस कार्यालय के अल्पकालीन ई–निविदा सूचना संख्या–**02**/अधि0अभि0/2026–27 की छः प्रतियॉ सी0डी0 सहित आपको इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि संलग्न ई–निविदा सूचना संख्या–**02**/अधि0अभि0/2026–27 का प्रकाशन इस जनपद व आस–पास के जनपदों के सर्वाधिक प्रचलित किन्ही दो राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में दो दिवस के अन्तराल पर दो बार प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा इस ई–निविदा को सुसंगत शासनादेशों के क्रम मे वृहद् प्रचार एवं प्रसार हेतु http://information.up.nic.in अथवा अन्य वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्नकः ई–निविदा सूचना छः प्रतियों में मय सी0डी0 सहित।

भवदीय

(राजाराम चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर

पत्रांकः– 832/ल0डा0न0ख0मी0/ई–निविदा/2026–27/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. मुख्य अभियन्ता (नलकूप वाराणसी), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, वाराणसी।
2. अधीक्षण अभियन्ता, कम्प्यूटर केन्द्र, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को निविदा सूचना व सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ कि निविदा सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
3. जिलाधिकारी महोदया, मीरजापुर को अवलोकनार्थ।
4. पुलिस अधीक्षक, महोदय मीरजापुर ।
5. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, मीरजापुर।
6. अधिशासी अभियन्ता, मीरजापुर नहर प्रखण्ड/सिरसी बॉध प्रखण्ड/सिंचाई खण्ड, चुनार/कनहर नहर निर्माण खण्ड–6/बाण सागर नहर निर्माण खण्ड–5/7/8 एवं 10 मीरजापुर ।
7. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, मीरजापुर/अनुरक्षण खण्ड, भदोही ।
8. सहायक अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय, लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर ।

09. नोटिस बोर्ड हेतु ।

(राजाराम चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर
ई–टेण्डरिंग के माध्यम से कराये जाने वाले कार्यों की
अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या : 02/अधि0अभि0/ई–निविदा/2026–27

महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश की ओर से तालिका सं0–01 में निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑनलाइन वेबसाइट **https://etender.up.nic.in** के माध्यम से **सिंचाई विभाग में वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से** तालिका सं0–02 में निहित कार्यक्रम के अनुसार निविदा आमंत्रित की जाती हैं एवं विभाग द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा निहित कार्यक्रम के अनुसार खोली जायेंगी।

तालिका सं0–01

लॉट सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित मात्रा	धरोहर धनराशि (रूपया में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु0 में	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	Contruction of Boundary Wall At Deegh Pump Canal.	बिल ऑफ क्वान्टिटी के अनुसार	20510.00	02 माह	225 + 18% + 500 स्टेशनरी चार्ज	सिविल 'सी' श्रेणी एवं उच्च
2.	Construction of Brick Channel in Feeder Canal (Reach 0.00 Km to 0.250 Km) At Deegh Pump Canal.		32200.00	05 माह	300 + 18% + 500 स्टेशनरी चार्ज	सिविल 'सी' श्रेणी एवं उच्च
3.	Construction of Brick Channel in Feeder Canal (Reach 0.300 Km to 0.560 Km) At Deegh Pump Canal.		33400.00	05 माह	300 + 18% + 500 स्टेशनरी चार्ज	सिविल 'सी' श्रेणी एवं उच्च
4.	Contruction of Boundary Wall At Dhauraha Pump Canal.		26700.00	02 माह	225 + 18% + 500 स्टेशनरी चार्ज	सिविल 'सी' श्रेणी एवं उच्च

तालिका सं0– 02

SI No.	Particulars	Date	Time
1	Upload on website	20-05-2026	02.00 PM
2	Bid Submission Start	20-05-2026	03.00 PM
3	Bid Submission End	11-06-2026	05.00 PM
4	Technical Bid Opening	11-06-2026	11.00 AM
5	Financial Bid Opening	Date & Place to be decided after technical bid evaluation and it will be communicated online to successful bidders in technical bid.	

नोट :–

1. इस ई–निविदा की सूचना, विवरण व शर्ते उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट http://etender.up.nic.in, सूचना विभाग की वेबसाइट http://information.up.nic.in तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट http://idup.nic.up पर उपलब्ध है।
2. इस ई–निविदा की सूचना से सम्बन्धित शर्तें एवं शुद्धिकरण सम्बन्धी सूचनायें वेबसाइट http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध करायी जायेगी। निविदादाता कृपया उक्त वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करनें का कष्ट करें।
3. कार्यालय बन्द होने या छुट्टी/अवकाश होने की दशा में यह निविदा अगले कार्य दिवस में उसी समय खोली जायेगी।

(राजाराम चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता
लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर

नियम व शर्तें

1. ज्वाइन्ट वेन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. सशर्त निविदा किसी भी दशा में मान्य नहीं होगी।
3. बिना कारण बताये निविदा को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
4. इच्छुक निविदादाता निविदा सम्बन्धी सभी शर्तों और नियमों की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर के कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।
5. निविदादाता को सुझाव दिया जाता है कि निविदा डालने से पूर्व समस्त विभागीय नियमों व शर्तों का संज्ञान लेते हुए कार्यस्थल का निरीक्षण कर, कार्य की स्थिति एवं परिस्थिति से भली–भाँति भिज्ञ हो लें।
6. निविदादाता को ऑनलाइन निविदा में निम्नलिखित प्रमाण–पत्र तथा डॉक्यूमेंट की स्कैण्ड प्रति अपलोड करनी होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय **अनावश्यक डॉक्यूमेंट** अपलोड न किये जाये। ऐसा करने पर यदि किसी कारणवश आवश्यक डॉक्यूमेंट का संज्ञान न हो पाने के कारण बिड Unresponsive हो जाती है, तो इसके लिए निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा। निविदादाता को निविदा प्रपत्रों की हार्ड कॉपी के साथ इन सभी अपलोड किये गये प्रपत्रों, डॉक्यूमेंट्स आदि को मूल रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करने होंगे, अन्यथा उनकी निविदा को Unresponsive मानते हुए शासनादेश संख्या–25/1439/17–27–सिं–3–07 विविध/17 दिनांक 09.10.2017 के अनुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
7. निविदादाता को धरोहर धनराशि एवं निविदा प्रपत्र के मूल्य का भुगतान कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक 825/प्र0अभि0/मु0अभि0 (सू0प्र0स0)/ई–टेण्डरिंग, दिनांक 27.12.2019 के अनुसार तालिका–1 के क्रमशः कॉलम संख्या 4 व 6 के अनुसार नेट बैंकिग के माध्यम से करनी होगी। बिना नेट बैकिंग के भुगतान के बिडिंग/निविदा की प्रक्रिया सम्पन्न नहीं हो पायेगी।
   - **(i)** **<u>Cost of bid document (Non-Refundable):</u>** To be deposited in the account of UP e-tender online account through e-tender portal by internet banking only. All concerned please note that bidding process will not move forward if the bid documents cost (Tender Fee) is not paid through e-tender portal by internet Banking.
   - **(ii)** **<u>Bid security (EMD):</u>** Bids must be accompanied with security of the amount specified for work. Bid security will be deposited in the account of UP e-tender online account through e-tender portal by internet banking only. All concerned please note that bidding process will not move forward if the Bid Security (EMD) is not paid through e-tender portal by Internet Banking. No other form of bid security will be accepted.
     Uploading of proof of online payments not mandatory.
   - **(iii)** सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश की निर्धारित श्रेणी का वैध पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   - **(iv)** जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1)। पार्टनरशिप फर्म की स्थिति में सभी पार्टनरों का जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
   - **(v)** जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2)। पार्टनरशिप फर्म द्वारा फर्म के नाम निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र एवं प्रोपराइटर फर्म द्वारा प्रोपराइटर के नाम का हैसियत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा अमान्य कर दी जायेगी।
   - **(vi)** निविदा के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर स्वघोषणा–पत्र (IDT-3), जो कि रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर स्वयं के पासपोर्ट साइज फोटो सहित नोटरी द्वारा सत्यापित हो, जिस पर निविदा सूचना संख्या व कार्य का नाम पूर्ण रूप से अंकित हो, को पूर्णरूप से भरकर ही संलग्न करना होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
   - **(vii)** निविदादाता को श्रमिक कार्यालय में पंजीकरण का वैध प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
   - **(viii)** निविदादाता को केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पत्रांक 12–02–01–सी0टी0ई0–6, दिनांक 17.12.2002 के अनुसार विगत 07 वित्तीय वर्षों में सफलता पूर्वक सम्पादित किये गये सम्बन्धित कार्यों के सम्बन्ध में **लॉटवार निम्न विवरणानुसार अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा**, जो राजकीय विभाग के न्यूनतम अधिशासी अभियन्ता या समकक्ष स्तर से विधिवत् निर्गत किया गया हो। **विगत 07 वित्तीय वर्षों में कराये गये सम्बन्धित कार्य से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 2019–20 अथवा उसके पश्चात् गठित अनुबन्ध के सापेक्ष कराये गये कार्यों से है। अतः लॉट संख्या–01 एवं लॉट संख्या–04 में केवल भवन निर्माण/बाउण्ड्री वॉल के निर्माण के कार्य तथा लॉट संख्या–02 एवं लॉट संख्या–03 में केवल ब्रिक लाइनिंग/ब्रिक चैनल के निर्माण के कार्य का ही अनुभव मान्य होगा।**

(क) लॉटवार सम्बन्धित कार्य के पूर्ण किये गये तीन कार्यों जिसमें प्रत्येक की लागत निविदा कार्य के 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

<u>अथवा</u>

(ख) लॉटवार सम्बन्धित कार्य के पूर्ण किये गये दो कार्यों जिसमें प्रत्येक की लागत निविदा कार्य के 50 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

<u>अथवा</u>

(ग) लॉटवार सम्बन्धित कार्य के पूर्ण किये गये एक कार्य जिसकी लागत निविदा कार्य के 80 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

(क्रमशः 02 पर)

(ix) ऐसे अनुभव जिनमें एक से अधिक प्रकृति के कार्यों को सम्मिलित करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, उनमें विभिन्न कार्यों की मात्रा स्पष्ट करने हेतु संबंधित अनुबन्ध का Sechedule-A/Bill of Quanitity (Abstract of Cost)/ अंतिम बीजक की छायाप्रति अथवा ऐसा कोई सरकारी अभिलेख जिससे कार्य के अनुभव की मात्रा एवं प्रकृति स्पष्ट हो जाय, निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ऐसे अनुभव जिनमें समान प्रकृति के कार्य की लागत स्पष्ट नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा, गत वर्षों के कार्य की लागत प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत सामान्य वृद्धि के आधार पर आंकलित की जायेगी।

8. कोषागार से सत्यापित स्टैम्प पेपर ही मान्य होंगे।

9. अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।

10. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में या कोई अन्य परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।

11. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का सर्वप्रथम तकनीकी परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता द्वारा IDT-1, IDT-2,IDT-3 तथा निर्धारित प्रतिभूति धनराशि एवं अनुभव प्रमाण पत्र इत्यादि ठीक–ठीक उपलब्ध कराये गये है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक होने की स्थिति में सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म की निविदा निरस्त की जा सकती है तथा जो निविदादाता समस्त मानकों को पूर्ण करते हुए तकनीकी परीक्षण में सफल पाया जाता है, उसी ठेकेदार/फर्म का फाइनेन्शियल बिड खोला जायेगा।

12. अनुबन्ध के समय विभागीय लागत (Departmental Cost) का 10 प्रतिशत जमानत धनराशि (एन0एस0सी0 या राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0 या टी0डी0आर0 अथवा नियमानुसार अनुमन्य अन्य प्रतिभूति के रूप में जो अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल नहर खण्ड, मीरजापुर के पक्ष में बंधक हो) अनुबन्ध के समय जमा करना अनिवार्य होगा।

13. शासनादेश संख्या 52/1439/17–27–सिं0–3–07 विविध/17, दिनांक 09.10.2017 तथा शासनादेश संख्या : 3070/78–2–2018–42 आई0टी0/2017(22) दिनांक 03.01.2018 के क्रम में निविदा के समय निविदादाता को निर्धारित प्रपत्रों के अतिरिक्त मूल अभिलेखों की छायाप्रति संलग्न करना होगा तथा निविदा प्रक्रिया पूर्ण हो जाने अर्थात् **निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता को मूल अभिलेख व्यक्तिगत रूप से इस कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें।** निविदा की तकनीकी एवं वित्तीय बिड्स खोले जाने के उपरान्त निविदादाता द्वारा मूल अभिलेख मूलरूप में प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के साथ–साथ पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डालने की कार्यवाही की जायेगी। अनुबन्ध गठित करते समय यदि ठेकेदार द्वारा धरोहर धनराशि एवं परफारमेंस सिक्योरिटी के रूप में बैंक गारन्टी दी जाती है और कार्य निर्धारित समय से पूर्ण न कर पाने की दशा में समयवृद्धि लेता है तो परफारमेंस सिक्योरिटी की बैक गारन्टी की अवधि भी समयवृद्धि के अनुसार स्वयं संबंधित बैंक से बढ़वानी होगी एवं धरोहर धनराशि की बैंक गारन्टी कार्यपूर्ण की तिथि से अगले छः माह तक स्वयं संबंधित बैंक से बढ़वानी होगी। ऐसा न करने पर समतुल्य धनराशि निविदादाता से बकाये राजस्व की भॉति वसूल कर ली जायेगी।

14. उपरांकित सभी कार्य विभागीय तकनीकी विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप सम्पादित करने होंगे।

15. चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र व स्वघोषणा प्रमाण–पत्र के फर्जी व गलत पाये जाने पर निविदा निरस्त की जायेगी तथा सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म का नाम तत्काल काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा/कराने की कार्यवाही की जायेगी।

16. निविदादाता को निविदा प्रपत्र भलीभॉति पढ़कर प्रपत्रों में अंकित निर्धारित स्थानों पर हस्ताक्षर मुहर सहित, जिसमें नाम, संस्था का नाम एवं पूर्ण पता हो, हस्ताक्षर करने होंगें। हस्ताक्षर न होने पर निविदा अमान्य की जा सकती है।

17. निविदादाता द्वारा निविदा डालने की प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी न होने अथवा अन्य कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पड़ने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

18. प्राप्त सभी निविदा प्रपत्रों का पहले यह परीक्षण किया जायेगा कि निविदादाता से प्राप्त वांछित समस्त आवश्यक प्रपत्र/अभिलेख ठीक है अथवा नहीं इसमें किसी प्रकार की कमी या असन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में निविदादाता द्वारा दी गई निविदा को Unresponsive माना जायेगा।

19. निविदा खोलने के समय केवल वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि (किसी एक को) को ही कार्यालय परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा। संबंधित फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के नाम रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर निर्गत (जिस पर अधिकृत प्रतिनिधि का प्रमाणित फोटो चस्पा हो) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

20. Technical evaluation will be done by tender committee, comparative chart would be prepared and award of contract will be available as per financial sanction for the Wrok. Technical evaluation के उपरान्त सफल एवं असफल निविदादाताओं की सूची वेबसाइट पर अपलोड करने के उपरान्त फाइनेन्शियल बिड (Financial Bid) खोली जायेगी, जिसकी तिथि/समय ई–टेन्डर वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

21. कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या–सी–17/प्रअपरिनि/निविदा प्रक्रिया/दिनांक– 04.02.2025 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या–14/2024/692/23–07–2024/दिनांक–09.08.2024 में निहित प्राविधानों के क्रम में परफारमेन्स गारण्टी की धनराशि अनुबंध के समय जमा करना अनिवार्य होगा। **अन्यथा निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।**

(क्रमशः 03 पर)

22. वेबसाइट पर ड्राईंग उपलब्ध न हो सकने की स्थिति में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के कार्यालय से ड्राईंग आदि देखी जा सकती है।
23. निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ में ई–टेण्डरिंग में वैध रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है, जिसे निविदा के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
24. प्रस्तावित कार्यस्थल पर Engineer-in-charge के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
25. कार्यस्थल पर आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
26. उपरांकित सभी कार्य सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश की तकनीकी विशिष्टियों/मानकों के अनुरूप सम्पादित करने होंगे।
27. ठेकेदार के बीजकों से नियमानुसार आयकर, रायल्टी, लेबर सेस इत्यादि प्रचलित टैक्स की कटौती की जायेगी।
28. निविदादाता द्वारा निविदा में दी गयी दरें जी0एस0टी0 सहित (Including G.S.T) ही मान्य होगी।
29. शासनादेश संख्या–1457/ग्यारह–2–2023–9(37)/22, दिनांक–08.12.2023 (राज्य कर अनुभाग–2 लखनऊ) के क्रम में फर्म/ठेकेदार द्वारा अद्यतन तिथि तक जी0एस0टी0आर0–3बी (GSTR-3B) प्रारूप रिर्टन दाखिल की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
30. जी0एस0टी0 (G.S.T) नियमानुसार देय होगी परन्तु यदि किसी प्रकार की कोई समयवृद्धि अनुमोदित किया जाता है तो समय में हुए वृद्धि की अवधि में यदि जी0एस0टी0 की दर बढ़ती है तो बढ़ा हुआ दर देय नहीं होगा।
31. टी0ए0सी0 (TAC)/ऑडिट अथवा अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा यदि कोई वसूली अधिरोपित की जाती है तो वसूली की धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
32. उक्त कार्यों का सम्पादन विभागीय विशिष्टियों तथा शासनादेश संख्या–99/2017/836/17–27–सिं–46(डब्लू)/12 दिनांक 12.05.2017 के अनुरूप ही किया जाना अनिवार्य होगा।
33. यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा अन्य सम्भावित निविदादाता को इस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गई हो तो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
34. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है एवं निविदादाता को भविष्य में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।
35. कोई निविदादाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हो तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। यदि निविदादाता द्वारा कोई ऐसा तथ्य छिपा कर निविदा प्राप्त कर लिया जाता है, तो अनुबन्ध को निरस्त करते हुए प्रतिभूति धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं कराये गये कार्यों का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
36. यदि निविदा किसी भी प्रकार से रिटेण्डर किया जाता है तो निविदा में उपयोग किये गये स्टैम्प का प्रयोग पुनः नहीं किया जायेगा। स्टैम्प का प्रयोग पुनः करने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
37. बार काउन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगें।
38. अपरिहार्य परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।
39. शासनादेश संख्या 2136(1)/15–17–सिं–9 दिनांक 17.08.2015 के अनुसार ठेकेदार को अनुबन्ध गठन से पूर्व इस आशय का घोषणा पत्र देना होगा कि उनके द्वारा अनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
40. **अपलोड किये गये सभी मूल अभिलेखों की स्कैन कॉपी स्पष्ट व पठनीय होनी चाहिए,** क्योंकि अभिलेखों की जाँच हेतु उनको डाउनलोड/प्रिन्ट किया जाना है। डाउनलोड अभिलेखों के प्रिन्ट अपठनीय होने पर निविदादाता की टेक्निकल बिड डिसक्वालिफाइड कर दी जायेगी।
41. निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सभी निर्माण सामग्री (बालू, गिट्टी, बोल्डर आदि) की मात्रा का एम0एम0–11 (रवन्ना) फार्म बीजक भुगतान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
42. अनुबन्ध गठित होने के पश्चात् भी यदि यह तथ्य किसी भी माध्यम या कार्यवाही के दौरान संज्ञान में आता है कि नियम व शर्तों का किसी भी स्तर पर उल्लंघन किया गया है या कोई फर्जी दस्तावेज/प्रतिभूति धनराशि रसीद विभाग को अनुबन्ध हेतु दिया गया है तो ऐसे अनुबंध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर निरस्त कर दिया जायेगा तथा ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्य को श्रमदान घोषित कर ठेकेदार के विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
43. यदि ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य प्राप्त करने के लिए कार्य की अनुमानित लागत से अत्यन्त कम दरें दे दी जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दे दी जा रही हैं और इस प्रकार गुणवत्ता के साथ मानकों के अनुरूप कार्यपूर्ण किया जाना सम्भव नहीं हो पायेगा, तो सक्षम अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मांगे। ऐसे मांगे गये दर विश्लेषण को दो दिवस के अन्दर देना होगा तथा शासनादेश संख्या 16/326/17–27–सिं–3–08 टी0/84 दिनांक 21.04.2017 के पैरा संख्या–5 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आशंका की पुष्टि होने पर सक्षम अधिकारी के द्वारा गुण–दोष के आधार पर सकारण आदेश प्रख्यापित कर निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त की जा सकती है।

(क्रमशः 04 पर)

44. कोई राजपत्रित अभियन्ता अथवा राजपत्रित अधिकारी, जो कि राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार के प्रशासकीय विभाग में कार्यरत हो, सेवानिवृत्ति के उपरान्त दो वर्ष तक बिना सरकार की अनुमति के ठेकेदारी के काम के लिये प्रतिबन्धित होंगें। ऐसी स्थिति में यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार/सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा उनके प्रतिनिधि ने निविदा डालने से पहले राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है तो उनकी निविदा निरस्त कर दी जायेगी। निविदादाता द्वारा इस आशय का शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

45. अनुबन्धित कार्य के सापेक्ष धन उपलब्धता की सीमा तक ही कार्य कराये जाने का प्रतिबन्ध भी लगाया जा सकता है विलम्ब से धन उपलब्ध/प्राप्त होने की स्थिति में फर्म/ऐजेन्सी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

46. कार्यस्थल के निकट अवस्थित सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग तथा अन्य विभागों की संरचनाओं की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व ठेकेदार का होगा। सभी संरचनाओं की सुरक्षा हेतु Engineer-in-charge के निर्देश मानने के लिये ठेकेदार बाध्य होगा, अन्यथा की स्थिति में क्षतिपूर्ति का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

47. प्रत्येक निविदादाता को फाइनेन्शियल बिड (Financial/Price Bid) के साथ रू0 100/– (Non-Judicial) स्टैम्प पेपर जिस पर रू0 1/–का रेवेन्यू टिकट लगाकर टिकट के उपर हस्ताक्षर करना तथा स्टैम्प पेपर पर निविदा सूचना संख्या, लॉट संख्या व कार्य का नाम एवं दरे 90 दिवस तक के लिये मान्य होंगी लिखना अनिवार्य होगा। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। इसकी मूल कॉपी निविदा के साथ संलग्न करनी होगी। अनुबंध से पूर्व नियमानुसार धरोहर धनराशि एवं स्टैम्प ड्यूटी जमा करनी होगी।

48. बिड कैपेसिटी की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

Bid Capacity = (2xAxN) − B

A = विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में निष्पादित सिविल इंजीनियरिंग कार्यों का अधिकतम लागत (07 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से मूल्यवृद्धि जोड़कर ऑगणित किया जायेगा)।

N = कार्य पूर्ण करने के लिए निर्धारित कार्य अवधि 06 माह अथवा इससे कम होने पर 0.50 लिया जायेगा तथा 06 माह से अधिक होने पर 1.00 लिया जायेगा।

B = वर्तमान में चल रहे कार्यों की लागत को घटाया जायेगा।

49. प्रत्येक निविदादाता को निम्नलिखित मूल अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति को बिड के साथ **निम्न क्रम में** अपलोड करना **अनिवार्य है** :–

(क) सम्बन्धित श्रेणी का विभागीय वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र।
(ख) चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1)।
(ग) हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2)।
(घ) नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ–पत्र (IDT-3)।
(ङ) बिड कैपेसिटी की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित (हस्ताक्षर व मुहर सहित) प्रमाण–पत्र।
(च) लॉटवार सम्बन्धित कार्य का अनुभव प्रमाण–पत्र।
(छ) पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 व 2024–25) का आयकर रिटर्न (ITR) प्रमाण–पत्र।
(ज) पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2022–23, 2023–24 व 2024–25) का बैलेन्स शीट सी0ए0 द्वारा प्रमाणित (हस्ताक्षर व मुहर सहित) प्रमाण–पत्र।
(झ) वर्तमान में चल रहे कार्य अथवा कोई कार्य नहीं चल रहा है, से सम्बन्धित शपथ पत्र रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर।
(ञ) निविदादाता द्वारा टी0 एण्ड पी0 (T&P) सम्बन्धी विवरण।
(ट) निर्धारित प्रतिभूति धनराशि तथा दरें 90 दिवस तक मान्य होंगी की मूल प्रति।
(ठ) जी0एस0टी0 तथा पैन रजिस्ट्रेशन की प्रति।
(ड) श्रम विभाग द्वारा निर्गत लेबर सर्टिफिकेट की प्रति।
(ढ) विगत 5 वर्षों के टर्नओवर की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित (हस्ताक्षर व मुहर सहित) प्रमाण–पत्र।
(ण) संस्था के प्रकरण में पार्टनरशिप डीड के अनुबन्ध की स्वप्रमाणित प्रति।
(त) यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ में ई–टेण्डरिंग का वैध प्रमाण–पत्र।
(थ) अद्यतन तिथि तक जी0एस0टी0आर0–3बी (GSTR-3B) प्रारूप रिर्टन दाखिल की छायाप्रति।

(राजाराम चौधरी)
अधिशासी अभियन्ता
लो... ...इर खण्ड, मीरजापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by RAJA RAM CHAUDHARY
Date: 2026.05.20 13:29:18 IST
Location: Uttar Pradesh UP